<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

संसद का बजट सत्र, 2021, जो शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021 से आरंभ हुआ था, आज अर्थात गुरूवार, 25 मार्च, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोक सभा और राज्य सभा को सोमवार, 8 मार्च, 2021 को पुन: समवेत होने के लिए क्रमश: शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 और शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को मध्यावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया था ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें।

2. सत्र मूल रूप से 8 अप्रैल, 2021 तक बैठने के लिए निर्धारित था परंतु दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के कारण इसे छोटा कर दिया गया ताकि सदस्य कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें।

3. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा की कुल 12 बैठकें और राज्य सभा की 11 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे भाग के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा की 12-12 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र, 2021 के दौरान कुल मिलाकर लोक सभा की 24 बैठकें और राज्य सभा की 23 बैठकें हुई।

4. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, लोक सभा ने अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा दर्शक दीर्घा, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा दर्शक दीर्घा का उपयोग किया, जबकि राज्य सभा ने अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा दर्शक दीर्घा और लोक सभा कक्ष का उपयोग किया। लोक सभा की बैठकें प्रतिदिन, दिनांक 29.01.2021 और 1.02.2021, जब इसकी बैठकें पहले हुई, को छोड़कर, अपराह्न 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक (यदि आवश्यक हुआ तो, विस्तारित समय के साथ) हुई। राज्य सभा की बैठकें दिनांक 29.01.2021 और 1.02.2021, जब इसकी बैठकें बाद में हुई, को छोड़कर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 से दोपहर 2 बजे तक (यदि आवश्यक हुआ तो, विस्तारित समय के साथ) हुई। बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने के बाद, सदनों के समय को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य कर दिया गया अर्थात पूर्वाह्न 11 से शाम 6 बजे तक (यदि आवश्यक हुआ तो, विस्तारित समय के साथ)। लोक सभा ने अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष और लोक सभा दर्शक दीर्घा का उपयोग किया है, जबकि राज्य सभा ने अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा दर्शक दीर्घा का उपयोग किया।

5. वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार 29 जनवरी, 2021 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोक सभा में श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा प्रस्तावित और डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 15 घंटे के स्थान पर 16 घंटे 58 मिनट का समय लिया गया। राज्य सभा में इसे श्री भुबनेश्वर कालिता द्वारा प्रस्तावित और श्री विजय पाल सिंह तोमर द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आबंटित 15 घंटे के स्थान पर 15 घंटे 41 मिनट का समय लिया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया।

6. वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट सोमवार, 1 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में सामान्य चर्चा सत्र के पहले भाग के दौरान हुई। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 10 घंटे के

स्थान पर 14 घंटे 44 मिनट का समय लिया गया और राज्य सभा में आबंटित 10 घंटे के स्थान पर 10 घंटे 56 मिनट का समय लिया गया।

7. लोक सभा में, रेल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों को बुधवार, 17 मार्च, 2021 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया। लोक सभा में दिनांक 17.3.2021 को संबंधित विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों; जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों और वर्ष 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों (लेखानुदान) को स्वीकार किए जाने के पश्चात उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में दिनांक 18.3.2021 को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2021 लोक सभा द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पारित किया गया। राज्य सभा ने भी सभी विनियोग विधेयकों को दिनांक 23.03.2021 को और वित्त विधेयक, 2021 को दिनांक 24.03.2021 को वापस लौटा दिया। इस प्रकार पूरा वित्तीय कार्य संसद के दोनों सदनों में 31 मार्च, 2021 से पहले पूरा कर लिया गया।

8. इस सत्र के दौरान कुल 20 विधेयक (17 लोक सभा में और 03 राज्य सभा में) पुरस्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 18 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 19 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 18 है। लोक सभा/राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों, दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए और राज्य सभा में वापस लिए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

9. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्न प्रकार हैं:-

आर्थिक क्षेत्र/व्यापार करने में आसानी के उपाय:

वर्तमान सत्र के दौरान पारित किए गए देश की अर्थ नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधान:

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 तीव्र आर्थिक विकास के लिए खनन क्षेत्र को इसकी पूर्ण क्षमता में विकसित करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक में खनिज क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने, कोयला सहित खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाने, राज्यों का राजस्व बढ़ाने, खानों के उत्पादन और समयबद्ध परिचालन में वृद्धि करने, पट्टेदारी के परिवर्तन के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति को बढ़ाने और काफी समय से लंबित पड़े उन मुद्दों का हल करने की मांग करता है जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास को मंद कर दिया है।

बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और बीमा क्षेत्र के विकास के लिए घरेलू दीर्घकालिक पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशल में वृद्धि करने की सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के लक्ष्य को पूरा करना और इसके माध्यम से भारतीय बीमा कंपनियों में सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करके बीमा निवेश और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना है।

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधिनियमित होने के बाद हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारक पक्षकारों को (i) जहां अंतर्निहित माध्यस्थम करार, संविदा या पंचाट निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित हो वहां पंचाट निर्णय के प्रवर्तन पर बिना शर्त के रोक की मांग करने; (ii) मध्यस्थ की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंडों को निर्धारित करने वाली अधिनियम की आठवीं अनुसूची का विलोप करने; और (iii) योग्यता, अनुभव और मानदंडों को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करने का अवसर मिल सके।

राष्ट्रीय वित्त-पोषण बुनियादी ढ़ांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021 वित्त पोषण संबंधी बुनियादी ढ़ांचे के लिए जरूरी बांड्स और व्युत्पत्तिक बाजारों के विकास सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-अवलंब वित्त-पोषण बुनियादी ढांचे के विकास को सहारा देने, वित्त पोषण बुनियादी ढांचे के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वित्त पोषण और विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने और इससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का प्रस्ताव करता है।

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021 का उद्देश्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरस्त करके महापत्तनों को अधिक स्वायत्तता, लचीलापन प्रदान करना और उनके शासन को पेशेवर बनाना है। विधेयक भारत में महापत्तनों के विनियमन, संचालन और आयोजना का उपबंध करेगा और ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को महापत्तन प्राधिकरण के बोर्डों के अंतर्गत लाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में व्यापार करने और बाजार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में महापत्तनों को स्वायत्तता प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र:

वर्तमान सत्र के दौरान पारित किए गए स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधान:

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 गर्भ के समापन के लिए अधिकतम गर्भकालीन सीमा में वृद्धि करता है और सुरक्षित गर्भपात की सेवा और गुणवत्ता का समाधान करने के साथ व्यापक गर्भपात देखभाल तक महिला की पहुंच में वृद्धि करता है।

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2020 संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवा के मानकों के विनियमन और रखरखाव, संस्थानों के मूल्यांकन, एक केंद्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के रखरखाव, अनुसंधान और विकास में सुधार करने के लिए एक प्रणाली के सृजन का उपबंध करने की मांग करता है।

सामाजिक न्याय सुधार:

भारत में सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधारों को और मजबूत करने के लिए वर्तमान सत्र के दौरान पारित किए कुछ विधेयक:

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है। विधेयक में देवेंद्रकुल वेलालार के साथ देवेंद्रकुलाथन समुदाय के लिए प्रविष्टि को प्रतिस्थापित करता है, जिसमें ऐसे समुदाय शामिल हैं जो वर्तमान में अधिनियम

के अंतर्गत अलग से सूचीबद्ध हैं। ये हैं: (i) देवेंद्रकुलाथन, (ii) कल्लादी, (iii) कुदुंबन, (iv) पल्लन, (v) पन्नाड़ी, और (vi) वथीरियन। अलग प्रविष्टियों का विलोप कर दिया गया है। 1950 के आदेश में राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में कदाइयान समुदाय भी शामिल है। विधेयक कदाइयान समुदाय के लिए निवास के आधार पर भेद करता है। कदाइयान समुदाय के लिए अलग प्रविष्टि को (i) तिरुनलवेली, (ii) थूथुकुडी, (iii) रामनाथपुरम, (iv) पुदुकोट्टई, (v) तंजावुर, (vi) तिरुवरुर और (vii) नागपट्टिनम जिलों के कदाइयान समुदाय से प्रतिस्थापित किया गया है। अन्य जिलों में रहने वाले कदाइयान समुदाय के सदस्यों को देवेन्द्रकुल वेलालार समूह में शामिल किया गया है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010, जो झुग्गी-झोंपड़ी समूहों से संबंधित है, को जहां तक इसका इन समूहों की विद्यमानता की तारीख से संबंध है, 2011 के अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन प्रक्रिया के अधीन है। इसी प्रकार फार्म हाउसों, विशेष क्षेत्रों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई विचाराधीन है और उसे पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2011, 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था और जहां पर्याप्त उपाय अभी किए जाने हैं वहां उन अप्राधिकृत गतिविधियों के संरक्षण को बनाए रखना आवश्यक था। यह विधेयक अधिनियम, 2011 को 01.01.2021 से 31.12.2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए तक विस्तारित करेगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्धन करेगा और निर्वाचित सरकार तथा राज्यपाल के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के शासन की सांविधानिक स्कीम के अनुरूप परिभाषित करेगा, जैसी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है।

10. लोक सभा में नियम 193 के तहत 'महिला सशक्तिकरण' पर अल्पावधि चर्चा हुई जो अनिर्णीत रही।

11. पूरे बजट सत्र, 2021 के दौरान लोक सभा की उत्पादिता लगभग 114% व राज्य सभा की 90% रही।

***

अनुबंध

17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र और राज्य सभा के 253वें सत्र (बजट सत्र, 2021) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I - लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2021
2. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
3. अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021
4. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
5. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
7. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
8. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
9. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
10. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
11. विनियोग विधेयक, 2021
12. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
13. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
14. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
15. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
16. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021
17. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

II - राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021
2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
3. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021

III - लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
2. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021
3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
5. विनियोग विधेयक, 2021
6. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
7. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
8. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021

9. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
10. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
11. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
12. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
13. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
14. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
15. वित्त विधेयक, 2021
16. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021
17. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021
18. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021;

    *महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021

    * गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021

    * *संशोधनों से सहमत होना।*

IV - राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021
2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
3. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020
4. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
5. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019
6. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
7. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2020
8. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
9. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
10. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
11. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
12. विनियोग विधेयक, 2021
13. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
14. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
15. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
16. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
17. वित्त विधेयक, 2021
18. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
19. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021

V - संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021

2. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
4. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021
5. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021
6. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
8. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
9. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
10. विनियोग विधेयक, 2021
11. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
12. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
13. पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
14. पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
15. वित्त विधेयक, 2021
16. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
17. राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021
18. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021

***